

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक.....06...../वि.स./सं-02/2016

रायपुर, दिनांक 05/3/2016

//विधानसभा भवन का मॉडल बनाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना//

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित मुख्य भवन एवं अन्य भवनों को सम्मिलित कर मॉडल तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित/स्थापित फर्म/एजेंसी/कलाकारों से दिनांक 30 मार्च, 2016 को सायं 4:00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें/जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

किसी भी अथवा समस्त प्रस्तावों को अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रमुख सचिव, विधानसभा को होगा।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

// विधानसभा भवन का मॉडल बनाने संबंधी निविदा की शर्तें/जानकारी //

1. प्रस्तावकर्ता को विधानसभा के सम्पूर्ण भवनों का मॉडल तैयार करना होगा । मॉडल लगभग 36 X 30 X 10 इंच के आकार का तैयार करना होगा । मॉडल का भार अधिक न हो इस हेतु उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना होगा ।
2. प्रस्तावकर्ता द्वारा लकड़ी / पी0व्ही0सी0 शीट से मॉडल तैयार करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है । जिस सामग्री से मॉडल तैयार किया जाएगा, उस हेतु पृथक-पृथक प्रस्ताव, जिसमें मॉडल का अनुमानित वजन व मॉडल तैयार करने के समय का उल्लेख प्रस्ताव में देना अनिवार्य होगा ।
3. प्रस्तावकर्ता द्वारा बंद लिफाफे में मॉडल की लागत का प्रस्ताव देना होगा, तैयार किए जाने वाले मॉडल की लागत का पृथक-पृथक उल्लेख करना होगा ।
4. आवश्यकता पड़ने पर मॉडल को लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली में स्थापित करने का कार्य करना होगा. इस हेतु अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
5. मॉडल में प्रदर्शित सभी भवन समानुपातिक, व्यवस्थित एवं वास्तविक प्रतीत होने चाहिए ।
6. प्रस्तावकर्ता को मॉडल का पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन सचिवालय में प्रस्तुत करना होगा तथा सी0डी0 भी जमा करनी होगी । इस हेतु किसी राशि का भुगतान विधानसभा सचिवालय द्वारा नहीं किया जाएगा ।
7. प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य होने की दशा में प्रस्तुत दर की 10 प्रतिशत राशि की एफ0डी0 अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी ।
8. प्रस्तावकर्ता को पूर्व में उनके द्वारा किये गए कार्यों का विवरण, फोटो तथा कार्य आदेश की स्वयं द्वारा स्त्यापित प्रति आदि प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

9. विधानसभा परिसर स्थित भवनों के अवलोकन हेतु उप सचिव, संपदा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
10. मॉडल समय पर तथा गुणवत्तायुक्त नहीं होने की स्थिति में अमानत राशि के रूम में जमा राशि राजसात की जा सकेगी ।
11. किसी भी विवाद पर निर्णय करने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर को होगा ।

उपरोक्त शर्तें मुझे मान्य हैं ।

प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा